Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 12-July-2018 **TIME : 06:30 pm**

मुख्य परीक्षा

प्रश्न- नीति निर्देशक तत्व की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए स्पष्ट करे कि यह मौलिक अधिकार से किस प्रकार भिन्न है? **(150 शब्द, 10 अंक)**

Highlight the relevance of Directive Principles of state Policy and explain that how they are different from fundamental rights? (150 Words, 10 Marks)

MODEL ANSWER

उत्तर- भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में केवल राज्य के संगठन की व्यवस्था एवं अधिकार पत्र का वर्णन ही नहीं किया है, वरन् वह दिशा भी निश्चित की है जिसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न भविष्य में भारत को करना है। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन विषयों का समावेश किया, जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर लोक कल्याण राज्य की स्थापना संभव हो सकती है।

मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्व में निम्न अंतरों को देखा जा सकता है-

- मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, उनके अतिक्रमण पर नागरिक न्यायालय के शरण में जा सकता है, लेकिन नीति-निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, अतः नागरिक न्यायालय में शरण नहीं ले सकते हैं।
- मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते है, इस प्रकार ये वैयक्तिक है, वहीं नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह ये समाजवादी हैं।
- मौलिक अधिकार के अन्तर्गत नागरिकों और राज्य के बीच के संबंध की विवेचना है, वहीं नीति निदेशक तत्वों में राज्य के संबंध तथा उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीति की विवेचना है। इस तरह जहाँ मौलिक अधिकार का राष्ट्रीय महत्व है, वहीं नीति निर्देशक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो जाता है।
- मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, लेकिन नीति-निर्देशक तत्वों के लिए नहीं।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

* * *

GS World Committed To Excellence